

इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

FORM No.III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अदालत उपरकठ मजिस्ट्रेट मुकाम बेगू
शंकरा काई बनाम राजू
 करम मुकदमा नं. 89 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/11/18	<p>पत्रावली फेरी डी 1 पालना प्राप्त मही हुई हैं आइया फेरी पर 1 पालना फेरा की जाके पत्रावली मय पालना में दिनांक 15/11/18 फेरा हो</p>	
30/05/2018	<p>पत्रावली आज मंडावरी डिप्टर में स्थानी गयी। श्री. अ. विनीत द्वारा रिपोर्ट की गयी है कि मंडे पर विपसी राजू पिता देवीलाल पौत से झुका है, अतः मंडिसान को रेकार्ड पर न. होमे से परमान में पत्रावली की धानना संभव नहीं है। अतः पत्रावली में आयाकी कार्रवाई जेप की जाती है। पत्रावली फेनल सुधार होकर मंडर से कम होकर कायल करण है।</p> <p style="text-align: center;"> <small>सहायक कलेक्टर (उपरकठ अधिकारी) बेगू (चित्तौड़गढ़)</small> </p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">सत्यमेव जयते</p>	<p>मंडिसानी निवेदन है आवी से सम्पर्क करके पर वाडी है बलापुत्रि पत्रावली में कोई न स्थान पर रहें। पत्रे वाडे में उत्तर करके को फय नर: मंडे या विवाद होसे पाउक संभव नहीं है।</p> <p style="text-align: right;"> <small>24/</small> <small>11/2018</small> 30/5/18 </p>

Web Copy - Not Official